रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 164] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 22, 2019/आश्विन 30, 1941
No. 164] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 22, 2019/ASVINA 30, 1941

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 17 अक्तूबर, 2019

आ.अ. 177(अ).—यत:, वर्ष 2014 (मार्च-अप्रैल) में आयोजित 23-बैंगलोर ग्रामीण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2014 हेतु निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, श्री मुनीराजू गौड़ा पी., सं. 27/1, 'तुलसी' वसंतपुरा मेन रोड, कोननाकुंटे क्रॉस, बैंगलोर- 560062 को आयोग की दिनांक 9 जनवरी, 2019 की अधिसूचना सं. 76/कर्नाटक-लो.स./2018 द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अधीन विधि द्वारा अपेक्षित रीति से निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल नहीं करने के कारण दिनांक 9 जनवरी, 2019 से तीन वर्षों की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के लिए सदस्य चुने जाने और होने के लिए निरर्हित किया गया था; और

यत:, अभ्यर्थी ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 11 के अधीन अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष एक अपील (आयोग में दिनांक 9 सितम्बर, 2019 को प्राप्त), इसमें बताए गए कारणों की वजह से निरर्हता हटाने के लिए, दायर की है; और

यत:, उक्त श्री मुनीराजू गौड़ा पी. दिनांक 9 अक्तूबर, 2019 को अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए और निरर्हता हटाने संबंधी अपने मामले की पैरवी की; और

यत:, उनके द्वारा दिनांक 9 सितम्बर, 2019 और दिनांक, 9 अक्तूबर, 2019 को दिए गए अभ्यावेदनों और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए प्रस्तुतीकरण, अन्य सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, अपीलीय प्राधिकारी ने दिनांक 17 अक्तूबर, 2019 को एक सकारण आदेश पारित किया है कि उक्त अधिनियम की धारा 10क के अधीन श्री मुनीराजू गौड़ा पी. पर 9 जनवरी, 2019 को अधिरोपित निरर्हता उस अवधि तक, जिसमें उक्त आदेश की तारीख सम्मिलित है, कम कर दी जाए।

अत:, अब श्री मुनीराजू गौड़ा पी. का नाम, जो भारत सरकार के राजपत्र के साथ-साथ राज्य सरकार के राजपत्र में प्रकाशित आयोग के आदेश सं 76/कर्नाटक-लो.स./2018 दिनांक 9 जनवरी, 2019 में क्रम सं. 9 पर उल्लिखित था, उस अधिसूचना से 18 अक्तूबर, 2019 से हट जाएगा।

[सं. 76/कर्नाटक-लो.स./23/2014]

आदेश से,

बी. सी. पात्रा, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 17th October, 2019

O.N. 177(E).—Whereas, Shri Muniraju Gowda P, No. 27/1, 'Tulasi' Vasanthapura Main Road, Konanakunte Cross, Bangalore-560062, a contesting candidate for the General Election to the Lok Sabha, 2014 from 23–Bangalore Rural Parliamentary Constituency, held in the year (March-April) 2014 was disqualified under Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, vide Commission's notification No. 76/KT-HP/2018 dated 9th January, 2019, for being chosen as, and for being, a member of either House of the Parliament or of Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from 9th January, 2019 for not lodging his account of election expenses in the manner required by law; and

Whereas, the candidate has preferred an appeal (received in the Commission on 9th September, 2019) under Section 11 of the Representation of the People Act, 1951 before the Appellate Authority for the removal of the disqualification for the reasons stated therein; and

Whereas, the said Shri Muniraju Gowda P appeared in person before the Appellate Authority on 9th October, 2019 and pleaded his case for removal of disqualification: and

Whereas, after considering the submission made by him in his representations dated 9th September, 2019 and dated 9th October, 2019 and during the personal hearing and all other relevant facts and circumstances, the Appellate Authority has passed a speaking order dated 17th October, 2019, that the disqualification imposed on 9th January, 2019, under Section 10A of the said Act, on Shri Muniraju Gowda P be reduced to the period up to and including the date of the said order.

Now, therefore, the name of Shri Muniraju Gowda P which appeared at Sl. No. 9 of the Commission's order No 76/KT-HP/2018 dated 9th January, 2019, published in the gazette of government India as well as State Government gazette shall stand deleted from that notification with effect from 18th October, 2019.

[No. 76/KT-HP/23/2014]

By Order,

B. C. PATRA, Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.10.22 22:41:47 +05'30'